



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 08 वर्ष का कठोर कारावास व 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 74/2018 धारा-363,366,376 भा0द0सं0 एवं 04 पाक्सो एक्ट व 3(1)ब(1) एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पाँक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भारतभूषण उर्फ बबलू पुत्र कुंवरसेन नि0 ग्राम रम्पुरा नत्थू थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत को धारा- धारा-363,366 भा0द0सं0 व 04 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 08 वर्ष के कठोर कारावास व 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
सीओ रजनीश
कुमार उपाध्याय



पैरोकार
थाना - कुरारा
का0 संजीत कुमार